सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 78/17

अन्तर्गत धारा 88,188, 92, 40, 207 RT Act.

वदीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बबरकंवर पत्नि अगरसिंह जाति राजपुत निवासी ताणुरावजी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		1. जुझारसिंह पुत्र अगरसिंह 2. सवाईसिंह पुत्र अगरसिंह के कायम मुकाम 2/1 सुमेरसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/2 हठेसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/3 रूगसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/4 मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/5 दलपतसिंह पुत्र सवाईसिंह 3. देरावरसिंह पुत्र नेतसिंह 4. भाखरसिंह पुत्र नेतसिंह 5. गुमानसिंह पुत्र नेतसिंह 6. श्रीमती बबरकंवर पत्नि नेतसिंह 7. तेजमालसिंह पुत्र रायसिंह 8. उगमसिंह पुत्र रायसिंह 9. हीरसिंह पुत्र रायसिंह 10. गिरधरसिंह पुत्र मेगसिंह 11. नारायणसिंह पुत्र मेगसिंह 12. मोकसिंह पुत्र मेगसिंह 13. उमेदसिंह पुत्र मेगसिंह 14. श्रीमती गेरकंवर पत्नि मेगसिंह जाति राजपुत निवासी ताणुरावजी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 15. मैनेजर आर.एम.जी.बी. हरसाणी 16. मैनेजर एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा गडरारोड़ 17. मैनेजर जे.टी.जी.बी. शाखा हरसाणी 18. तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक गडरारोड़

अधिवक्तागण –वादीनी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित

प्रतिवादी सं. 1 – श्री नवलसिंह राठौड़

निर्णय

दिनांक :– 5/7/19

वदीनी के वादपत्र का संक्षेप्त मे सार इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 बिन्दु हिन्दु विधि से भाासित है। संयुक्त हिन्दु परिवार जो पूर्व पुरूश स्व0 हेमसिह के वंशज है। ग्राम हरसाणी तह0 शिव जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 156, 434, 334, 368 कुल रकबा 505.19 बीघा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदार हेमसिंह की खातेदारी में आया हुआ है। विरासत में हेमसिह के चार पुत्रो कमशः अगरसिह, नेतसिंह, रायसिंह व मेगसिह को प्राप्त हुआ। विरासत के नामान्तकरण से खातेदारी रेकर्ड में सह खातेदारान के हिस्से का अंकन नही हुआ, परन्तु प्रत्येक सह खातेदार का खातेदारी हिस्सा 1/4–1/4 था तथा उसी अनुसार काबिज रहकर काबिज रहकर जीवन पर्यन्त काश्त कारते आ रहे है। वाद मे वर्णित आराजी वर्तमान में ग्राम हरसाणी से नव सृजित होकर राजस्व ग्राम ताणुमानजी व ताणुरावजी मे आई होने से खेत खसर नम्बर 156 ग्राम ताणुमानजी व खेत खसरा नम्बर 334, 368, 434 ग्राम ताणुरावजी मे आया हुआ है।

खातेदार हेमसिंह हिन्दु विधि से भाासित के देहान्त पर उन्हे वारीसान चारो पुत्रों के नाम अंकित हुए। वारीसान का खातेदारी का हिस्सा रेकर्ड में अंकित नही हुआ, परन्तु गणना

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

अनुसार प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 हुआ। खातेदार अगरसिंह जिनका खातेदारी हिस्सा इस आराजी मे 1/4 हिस्सा था जिनका देहान्त होने से प्रथम वर्ग के वारीसान उसकी विधवा पत्नी वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है।

वदीनी ग्रामीण व अशिक्षित, पर्दाशीन महिला है तथा पति के देहान्त पर विरासत के नामान्तरकरण खुलवाने मे समर्थ नही थी। विरासत के नामान्तरकरण में वारीस के रूप में वादीनी के नाम का अंकन न कराकर नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर तस्दीक करा दिया ।

वादग्रस्त आराजी मे वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खातेदारी हिस्सा 1/12–1/12 होने के उपरान्त भी वादीनी के हितो को अनदेखा कर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्व. अगरसिंह के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के खातेदारी अंकित कर दिये।

वादग्रस्त आराजी ग्राम ताणुमानजी खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 247.08 बीघा व ग्राम ताणुरावजी खेत खसरा नम्बर 334, 368, 434 कुल रकबा 258.11 बीघा भूमि अगरसिंह का 1/4 हिस्सा होने तथा उनके फौत होने पर धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनका हिस्सा उनकी पत्नी व पुत्रों अर्थात वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निहित हो गया।

वादीनी वादग्रस्त आराजी में अपने विधिक हिस्से की सीमा तक अपने खातेदारी अधिकारों की घोशणा व स्थायी निशेधाज्ञा प्राप्ति की सहायता हेतु यह वाद पेश कर निवेदन किया वादग्रस्त आराजी में वादीनी को हिस्सा 1/12 का सह खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीनी के हक हिस्सा की भूमि मे किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नही करे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समस्त तलब किये गये प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से वकालतनामा प्राप्त हुआ। शेष प्रतिवादी संख्या 6 से 14 की बाद तामिली रिपोर्ट प्राप्त बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 को जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया।

पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु तय कि प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से जावब पेश कर बताया कि ग्राम ताणुमानजी के खसरा नम्बर 156 रकबा 247–08 बीघा व ग्राम ताणुरावजी के खसर नम्बर 334, 368, 434 कुल रकबा 258.11 बीघा मे वादीनी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 को कोई आपति नही है। जाकर वादीनी के ब्यान लिये गये। वादीनी ने अपने ब्यान मे बताया कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की पुश्तैनी सम्पति संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 247.08 बीघा ग्राम ताणुमानजी व खसरा नम्बर 334, 368, 434 कुल रकबा 258.11 बीघा ग्राम तह0 गडरारोड़ में अवस्थित है। उक्त भूमि मुतवफी हेमसिंह की खातेदारी में दर्ज हुई थी जिनके वारिसान मे चार पुत्र प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से मे वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पृथक – पृथक 1/12–1/12 हिस्सा है, इसी अनुसार हम पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मेरी वृद्वावस्ता के कारण असहाय स्थिति होने से वर्तमान मे मेरे पुत्र सवाईसिंह के बडे पुत्र सुमेरसिह के साथ निवास करती हूँ और वही मेरी सेवा चाकारी करता है। मेरे पति अगरसिंह के फौत होने पर नामान्तरकरण मे मेरे दोनो पुत्रो सवाईसिंह व जूझारसिह के नाम दर्ज कर दिये गये है किन्तु मेरा नाम भूलवंश दर्ज नही हुआ जिससे वादग्रस्त भूमि मे निहित मेरे 1/12 हिस्सा से महरूम

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(RAS) शिव

Scanned by CamScanner

हो गयी। मेरा पुत्र जुझारसिंह राजस्व रिकार्ड मे मेरा नाम दर्ज नही होने से मेरे हिस्से की भूमि को बेचान करने पर उतारू है। वह अपने मकसद मे कामयाब हो गया तो मुझे अपूरणीय क्षति होगी।

वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण के साथ मुझ वादीनी का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जावे। नामान्तरकरण संख्या 1013 मौजा हरसाणी प्रदर्श–1, चालू जामबंदी खसरा नम्बर 156 मौजा ताणुमानजी प्रदर्श–2, नक्शा प्रदर्श–3, जमाबंदी खसरा नम्बर 334, 368, 434 मौजा ताणुमानजी प्रदर्श–4 व नक्शा प्रदर्श–5, नकल नामान्तरकरण सत्र 308 मौजा ताणुमानजी प्रदर्श–6 है जो मैने बतोर साक्ष्य प्रस्तुत किये है। मे मेरे पौत्र सुमेरसिंह पुत्र सवाईसिह का मेरे पहुंचने पर अपने 1/12 हिस्सा की समस्त भूमि देना चाहती हूं। क्योंकि उक्त सुमेरसिंह के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई वारिस मेरी सेवाचाकरी व दवादारू नही करता है।

हमने वादीनी वकील की बहस सुनी। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 का जवाब वादीनी के ब्यान व प्रदर्श –1 से प्रदर्श–6 एवं पत्रावली का अवलोकन व मनन किया पत्रावली व प्रदर्श –1 से प्रदर्श–6 से यह स्पश्ट है कि वादीनी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा बनता है। वादीनी के पति श्री अगरसिंह के फौत होने पर उनके 1/4 हिस्सा के प्रथम श्रेणी के वारिसन के तौर पर वादीनी व उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 थे। लेकिन फौतगी का नामान्तरकरण 1013 दायर करते वक्त वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम रिकार्ड में अंकन कर दिया गया था जो गलत है। वादीनी 86 वर्श की वृद्व महिला है।

अतः वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 40, 207 राजस्थान का तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम ताणुमानजी खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 247.08 बीघा व ग्राम ताणुरावजी खेत खसरा नम्बर 334, 368, 434 कुल रकबा 258.11 बीघा मे बबर कंवर बेवा अगरसिंह का 1/12 हिस्सा का सह खातेदार घोषित किया जाता है तथा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल भुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 78/17

अन्तर्गत धारा 88,188, 92, 40, 207 RT Act.

वदीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बबरकंवर पत्नि अगरसिंह जाति राजपुत निवासी ताणुरावजी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		1. जुझारसिंह पुत्र अगरसिंह 2. सवाईसिंह पुत्र अगरसिंह के कायम मुकाम 2/1 सुमेरसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/2 हठेसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/3 रूगसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/4 मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह 2/5 दलपतसिंह पुत्र सवाईसिंह 3. देरावरसिंह पुत्र नेतसिंह 4. भाखरसिंह पुत्र नेतसिंह 5. गुमानसिंह पुत्र नेतसिंह 6. श्रीमती बबरकंवर पत्नि नेतसिंह 7. तेजमालसिंह पुत्र रायसिंह 8. उगमसिंह पुत्र रायसिंह 9. हीरसिंह पुत्र रायसिंह 10. गिरधरसिंह पुत्र मेगसिंह 11. नारायणसिंह पुत्र मेगसिंह 12. मोकसिंह पुत्र मेगसिंह 13. उमेदसिंह पुत्र मेगसिंह 14. श्रीमती गेरकंवर पत्नि मेगसिंह जाति राजपुत निवासी ताणुरावजी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 15. मैनेजर आर.एम.जी.बी. हरसाणी 16. मैनेजर एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा गडरारोड़ 17. मैनेजर जे.टी.जी.बी. शाखा हरसाणी 18. तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक गडरारोड़

अधिवक्तागण –वादीनी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित
प्रतिवादी सं. 1 – श्री नवलसिंह राठौड़
प्रतिवादी सं 2 के वारिसान के वकील– श्री जेठाराम कुमावत

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 05.07.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीनी का वाद का स्वीकार किया जाकर गाम ताणुमानजी खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 247–08 बीघा व ग्रम ताणुरावजी खेत खसरा नम्बर 334, 368, 434 कुल रकबा 258–11 बीघा में बबर कंवर बेवा अगरसिंह का 1/12 हिस्सा का सह खातेदार घोषित किया जाता है। तथा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज तारीख 05.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:05:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: